न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर. ए. एस.)

नं. मु. :– /162/ 2025

निर्णय दिनांक :– 7/5/2026

बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा उम्र 63 वर्ष जाति महाजन निवासी दड़ीबा, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

............प्रार्थी

बनाम

1. आसाराम पुत्र श्रीचन्द उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी दड़ीवा, वीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
2. कुनणमल पुत्र चोथू उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी दड़ीवा, वीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
3. जीवराज पुत्र श्रीचन्द उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी दड़ीवा, वीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
4. ताराचन्द पुत्र मूलचन्द उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी दड़ीवा, वीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
   4/1 भगवतीराम सारड़ा पुत्र स्व. ताराचन्द सारड़ा
   4/2 जगदीश प्रसाद सारड़ा पुत्र स्व. ताराचन्द सारड़ा
   4/3 अमृतलाल सारड़ा पुत्र स्व. ताराचन्द सारड़ा
   4/4 पुनमचन्द सारड़ा पुत्र स्व. ताराचन्द सारड़ा
   4/5 रायकंवरी पुत्री स्व. ताराचन्द सारड़ा पत्नी कन्हैयालाल जाजू
   4/6 कमला देवी पुत्री स्व. ताराचन्द सारड़ा पत्नी गणपतराम राय विहानी
   4/7 कौशल्या देवी पुत्री स्व. ताराचन्द सारड़ा पत्नी रामेश्वर लाल विहानी
   4/8 बसन्ती तापड़िया पुत्री स्व. ताराचन्द सारड़ा पत्नी रामनिवास तापड़िया
5. धापी पत्नी श्रीचन्द उम्र वयस्क जाति महाजन निवासीनी दड़ीवा, वीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
6. प्रेमा पत्नी हीरा उम्र वयस्क जाति महाजन निवासीनी दड़ीवा, वीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
7. माणकचन्द पुत्र चोथू उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी दड़ीवा, वीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
8. मानमल पुत्र चोथू उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी दड़ीवा, वीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
9. मोहनराम पुत्र मूलचन्द उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी दड़ीवा, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

10. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीचन्द उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी दड़ीबा, बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चुरू)।
12. शाखा प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास।

.......अप्रार्थीगण

राजस्व वाद वास्ते घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955"

निर्णय

उपस्थित :–

1. लालचन्द जाट एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. आमीन शेख एडवोकेट वास्ते अप्रार्थी संख्या 4/8
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 11

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खाता संख्या नया 55 व पुराना 49 खसरा संख्या 276/32 तादादी 4.4263 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम दड़ीबा पटवार हल्का बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी का खेत है। जिसके खातेदारी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल जाति महेश्वरी अंकित हो रखा है, जबकि प्रार्थी का सही पूर्ण एवं दस्तावेजी नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन निवासी दड़ीबा है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपूर शाखा सुजानगढ़, एल आई सी रसीद में प्रार्थी का नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन अंकित होने के कारण प्रार्थी को बैंक ऋण लेने व सरकारी योजना का अनुदान प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल की जगह अपना सही, पुर्ण एवं शुद्ध दस्तावेजी नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन का संशोधन राजस्व रिकॉर्ड में कराये।

प्रार्थी का गलत चला आ रहा नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व वाद राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

का है तथा वादगत खेत रोही दड़ीबा पटवार हल्का बीदासर तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान्‌जी के न्यायालय को प्राप्त है आदि आदि अंकित कर राजस्व वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया।

राजस्व वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील अप्रार्थी संख्या 11 तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित में जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम शूद्ध एवं पूर्ण किया जाना उचित बताया है। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 10, व 12 बावजूद तामील न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और अप्रार्थी संख्या 2,5,6,7,8,9 की तामील पुनः लौट आयी। अप्रार्थी संख्या 4 के विधिक वारिष के द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 का जरिये स्वयं एवं अधिवक्ता के पेश किया गया। वादी द्वारा आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम के आगे लाल स्याही से स्वर्गीय शब्द अंकित करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 के विधिक वारिषान को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया और संशोधित शीर्षक पेश हुआ जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 के विधिक वारिषान को प्रतिवादी संख्या 4/1 लगायत 4/8 संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 4/8 की और से जवाब दावा पेश करते हुए वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष से किसी प्रकार का उजर ऐतराज होना प्रकट नहीं किया है। प्रार्थी/वादी की और से एक प्रार्थना–पत्र धारा 151 सीपीसी का पेश कर तथ्य कि मेरा राजस्व वाद रिकॉर्ड में स्वयं के नाम में संशोधन का और आवश्यक प्रकृति का होना और वादी प्रतिवादीयों के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोषा नहीं चाहना और प्रतिवादियों के कानुनी हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना अंकित करते हुए पेश किया तथा दौराने बहस प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से तलबी में छुट प्रदान करते हुए पत्रावली का निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पर लिया गया और बहस सुनी गई। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपने राजस्व वाद के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपूर शाखा सुजानगढ़, एल आई सी रसीद आदि में प्रार्थी का नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल जाति महेश्वरी अंकित है। हमने पत्रावली का भलीभांति ध्यानपुर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी और अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों और प्रार्थना पत्रों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धी से सम्बन्धित है, तथा आवश्यक प्रकृति का है और वादी द्वारा प्रतिवादियों के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहना जाहिरा प्रकट किया है, तथा उपस्थित प्रतिवादियों द्वारा वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष से किसी प्रकार का उजर होना प्रकट नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपूर शाखा सुजानगढ़, एल आई सी रसीद आदि में प्रार्थी का नाम बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल जाति महेश्वरी अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो के आधार पर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम दड़ीवा पटवार हल्का बीदासर के खेत खाता संख्या नया 55 व पुराना 49 खसरा संख्या 276/32 तादादी 4.4263 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम बुधराज पुत्र जयचन्दलाल जाति महेश्वरी को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का दस्तावेजी शुद्ध एवं पूर्ण नाम **बुधराज सारड़ा पुत्र जयचन्द लाल सारड़ा जाति महाजन** दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 7/5/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड
अधिकारी बीदासर